निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 133/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सुरेन्द्र पुत्र नारायण, जाति रैगर, निवासी जोधपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 उपखण्ड अधिकारी पावटा, पीठासीन अधिकारी श्री राजवीर यादव, आर.ए.एस.।

2 बनवारी पुत्र नारायण, जाति रैगर, निवासी जोधपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 421/2021 ब उनवानी बनवारी बनाम सुरेन्द्र व अन्य अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 26.07.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 421/2021 ब उनवानी बनवारी बनाम सुरेन्द्र व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी पावटा से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध एक दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उक्त उनवानी प्रस्तुत किया था जिसमें कुर्रेजात रिपोर्ट आकर वास्ते बहस नियत है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रार्थी को आपत्ति थी ओर लिखित में आपत्ति पेश करने हेतु प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से दिनांक 09.06.2022 को निवेदन किया तो पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी से कहां कि उक्त प्रकरण में आपत्ति पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ऊपर काफी दबाव है इसलिए आगामी पेशी दिनांक 28.06.2022 को मैं उक्त प्रकरण को डिक्री करूंगा। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के मौजूदा पीठासीन अधिकारी से प्रश्नागत प्रकरण में पारदर्शी न्याय की कतई उम्मीद नहीं हैं इसलिए प्रार्थी ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को

जिला कलक्टर
जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होकर एवं कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चार पेशीया होने के उपरान्त भी कोई आपत्ति पेश नहीं की है। प्रार्थी ने प्रकरण को देरी किये जाने के आशय से उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उभय पक्ष को सुनने व पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी के अवलोकन से परिलक्षित होता है की उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 12.05.2022 को हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर